

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०— वि.प्रा.(III) यो. —16 / 2018—

/पटना, दिनांक

सोबा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल गार्ड, पटना

विषय— विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेक्निक, सीतामढ़ी में नवनिर्मित बालिका छात्रावास की चहारदीवारी, गेट, साईकिल स्टैंड एवं मुख्य द्वार के निर्माण कार्यों के लिए कुल रु. 41,00,000=00 (इकतालीस लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश— स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक, सीतामढ़ी के पत्रांक—13, दिनांक 16.04.2018 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक—479, दिनांक 20.03.2018 द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर संरथान में नवनिर्मित बालिका छात्रावास की चहारदीवारी, गेट, साईकिल स्टैंड एवं मुख्य द्वार के निर्माण कार्यों के लिए कुल रु. 41,00,000=00 (इकतालीस लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के “मुख्यशीर्ष— 4059 –लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष—80—सामान्य, लघुशीर्ष—051—निर्माण, मांग संख्या—3, उपशीर्ष—0117—इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संरथाओं के लिए भवने (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)” के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 03—4059800510117 है।

3. स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी होंगे।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, सीतामढ़ी से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या— 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य सम्पादित कराने की संयुक्त जिम्मेवारी संरथान के प्राचार्य तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

9. वित्त विभाग के पत्रांक— 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक—

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा.(III) यो. —16 / 2018—

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

राज्यपाल के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा.(III) यो।— 16/2018—

/पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

है।—

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा.(III) यो।— 16/2018—

/पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव/अभियंता मुख्य-सह-अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

है।—

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा.(III) यो।— 16/2018—

/पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

है।—

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा.(III) यो।— 16/2018—

/पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


है।—

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा.(III) यो।— 16/2018—

1234 /पटना, दिनांक— 18-5-2018

प्रतिलिपि— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/आई.टी. मैनेजर (E-mail) एवं विभागीय डेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव


18/5/2018

कृष्ण
लल
3/